इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. एफ-2-1-2008-एक-13.—राज्य सरकार एतद्द्वारा, 'मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018' में निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्न उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह से कम कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) प्रतिमाह तथा ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें रुपये 30,000/- (रुपये तीस हजार केवल) प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि की पात्रता होगी."

2. उक्त नियमों में, नियम 5 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्न उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"(2) लोकतंत्र सेनानी के मरणोपरांत उनकी अंत्येष्ठि के लिए रुपये 8,000/- (रुपये आठ हजार केवल) की सहायता उनके परिवार के प्रमुख को दी जाएगी."

3. उक्त संशोधन अधिसूचना जारी के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलबाला अंजना मार्टिन, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.